बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
–: अधिसूचना :–

प०सं०–14 / डी०एल०ए०, कटिहार (संपर्क सड़क)–201 / 2013–2861 / रा०, पटना–15, दिनांक–10 / 12 / 2013

संख्या– भू–अर्जन,कटिहार दिनांक–

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा खैरा थाना नं० 264 अंचल समेली जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा खैरा अन्तर्गत सलेमपुर महादलित टोला से ईट सोलिंग सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम खैरा थाना नं० 264 के भीतर एक भू–खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.16 एकड़ (सोलह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 130 का अंश है एवं जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :–	मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 189 एवं रास्ता।
पूरब :–	मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 130 का पूर्ण।
दक्षिण :–	मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 131 का पूर्ण।
पश्चिम :–	मौजा खैरा थाना नं० 264 का सर्वे खेसरा नं० 122,124 एवं 123 का पूर्ण एवं रास्ता।

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार एवं अंचल पदाधिकारी कोढ़ा और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के अरम्भिक अनुसंधान में तत्ससमय लगे उनके कर्मचारी भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिृष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाता है, कि उस अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उस भूमि पर लागू नहीं होता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०

सरकार के अवर सचिव

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी कटिहार

अपर समाहर्त्ता कटिहार

समाहर्त्ता कटिहार

ज्ञापांक 2861 / रा० / भू–अर्जन दिनांक 10-12-13

प्रतिलिपिः–	निदेशक,भू–अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू–अर्जन कटिहार को दी जाय।
प्रतिलिपिः–	उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका–शनोपरान्त 5–5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार / अंचल पदाधिकारी, समेली / मुखिया ग्राम पंचायत राज खैरा को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–	अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः–	हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव